

बिहार पुलिस मुख्यालय
(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)
आदेश

पी0-05/16-01-09/2024

पटना, दिनांक 08.08.24

बिहार पुलिस अधिनियम की धारा-10 में वर्णित प्रावधान के आलोक में पुलिस मुख्यालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा सेवानिवृत्ति की निकटता के आधार पर स्थानान्तरण/पदस्थापन हेतु क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/उप-महानिरीक्षक से प्राप्त अनुशंसा पर विचारण हेतु दिनांक-31.07.2024 को समिति की बैठक आहूत की गई।

स्थानान्तरण समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नांकित पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों का सेवानिवृत्ति की निकटता के आधार पर स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सामने स्तम्भ-8 में अंकित जिला में तत्काल प्रभाव से किया जाता है:-


क्र0	पदनाम	नाम	गृह जिला	जन्मतिथि	वर्तमान पदस्थापन	स्थानान्तरण कहाँ वाहरो है	स्थानान्तरित जिला	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आशु पु0नि0	परवेजुल बारी	पटना	20.09.1965	पु0उ0म0नि0, कार्या0 मिथिला क्षेत्र, दरभंगा	निगरानी, विशेष शाखा, वितंतु, आ0अप0 इकाई, पटना या मुख्यालय के किसी इकाई में	पटना जिला	तत्काल प्रभाव से

- उक्त स्थानान्तरण संबंधित पदाधिकारियों/कर्मियों द्वारा समर्पित विकल्प/अभ्यावेदन/अनुशंसा के आधार पर किया गया है। संबंधित कार्यालय प्रधान स्थानान्तरित कर्मियों को विरमित करने से पूर्व उक्त कर्मियों के सेवाभिलेख की जाँच करने के उपरान्त ही जिलादेश निर्गत करने की कार्रवाई करेंगे। यदि इसमें कोई भिन्नता पायी जाती है, तो एतद् संबंधी सूचना से पुलिस मुख्यालय को अविलंब अवगत करायेगे।
- जिन पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों की सेवावधि 01 वर्ष 06 माह (मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्रांक-434 दिनांक-01.03.2007 के आलोक में 01 वर्ष के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों को स्वैच्छिक स्थान पर पदस्थापन /स्थानान्तरण से संबंधित मामलें हेतु) एवं दो वर्ष छः माह (पुलिस हस्त नियम-778 (iii) के अनुरूप 02 वर्ष या उससे कम की सेवानिवृत्ति की अवधि वाले पदाधिकारियों/कर्मियों को गृह जिला में पदस्थापन/स्थानान्तरण से संबंधित मामलें हेतु) शेष है, उन पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों का स्थानान्तरण संबंधी मामला पर विचारण किया गया है। अवधि के बाहर वाले आदेश तब प्रभावी होगा, जब वे कडिका-09 में निर्धारित तिथि को विचारण की परिधि में आयेंगे।
- संबंधित क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक को रिक्तियों के संबंध में कोई कठिनाई हो तो वे तत्संबंधी मामलें में बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना को अवगत करायेगे।
- जिन पुलिस पदा0/कर्मियों की सेवाकाल मात्र 06 माह या उससे कम रह गया है, उन मामलों में यदि उक्त पदा0/कर्मी यथावत बने रहने संबंधी अभ्यावेदन देते हैं, तो संबंधित पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक उनके स्थानान्तरण/पदस्थापन संबंधी मामलें को क्रियान्वित नहीं करेंगे।
- जिन पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों के द्वारा सेवानिवृत्ति निकटता के आधार पर सिर्फ इकाई में पदस्थापन करने हेतु अनुरोध किया गया था, उनके द्वारा किये गये अनुरोध को अस्वीकृत कर दिया गया है। सिर्फ ऐच्छिक/गृह जिला के आवेदनों पर विचार किया गया है।

(Handwritten Signature)

(Handwritten Mark)

7. उक्त स्थानान्तरण अभ्यावेदन के आधार पर किया गया है, अतः यात्रा/स्थानान्तरण भत्ता देय नहीं होगा।
8. उन सभी अभ्यावेदनों को जो उचित माध्यम से प्राप्त नहीं हुए हैं, उन्हें संबंधित पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक को वापस किया जा रहा है। संबंधित पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप-महानिरीक्षक स्पष्ट अनुशांसा के साथ तत्संबंधी प्रस्ताव बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
9. इस आदेश पर पुलिस महानिदेशक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।



पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय)
बिहार, पटना।

ज्ञाप सं०-पी०-०५/१६-०१-०९-२०२४/.....१४२

पटना, दिनांक.....०८/०८/२०२४

प्रतिलिपि :-

1. पुलिस उप-महानिरीक्षक कार्या० मिथिला क्षेत्र, दरभंगा को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
2. वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
3. प्रशाखा पदाधिकारी, एल०-२, बिहार पुलिस मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
4. आई०टी० मैनेजर, बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश को बिहार पुलिस के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।


पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय)
बिहार, पटना।

